दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया ध्यान दे: 23 नजूल संपदाओं में अल्प अवधि पट्टों (Short term lease) सहित व्यवसायिक उपयोग वाली पट्टा समाप्त (expired lease) सम्पत्तियों के अधिभोगी

23 नजूल संपदाओं (Estates) में अल्प अवधि पट्टों सहित व्यवसायिक उपयोग के पट्टा समाप्त सम्पत्तियों के अधिभोगियों की सुविधा एवं उन्हें आ रही परेशानियों के समाधान के लिए डीडीए इन संपत्तियों के वर्तमान अधिभोगियों का एक सर्वे/ डाटा संकलन कर रहा है ताकि डीडीए समाप्त हो चुके पट्टों के स्वामियों को लीजहोल्ड/फ्रीहोल्ड अधिकार प्रदान करने के लिए नीति बनाने पर विचार कर सके।

इन 23 नजूल संपदाओं में डैमेज प्रोपर्टी के अधिभोगियों के संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए **https://damage.ddalmis.org.in/DamagePayeeRegistration/Create** पर पंजीकरण के लिए एक डीडीए पोर्टल उपलब्ध है। इस पोर्टल को 23 नजूल संपदा (पट्टा समाप्त हो चुकी संपत्तियों के अधिभोगियों सहित) में आने वाले संपत्तियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है।

पट्टा समाप्त हो चुकी संपत्तियों के सभी अधिभोगियों को एतद्द्वारा अगले 30 दिनों के अंदर डीडीए पोर्टल पर पंजीकरण करने और उनकी संपत्तियों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया जाता है ताकि डीडीए आगे की कार्रवाई कर सके।

किसी भी प्रकार के प्रश्न/स्पष्टीकरण के लिए, इन संपत्तियों के अधिभोगी किसी भी कार्य दिवस में **दोपहर 3.00 बजे** से **शाम 5.00 बजे** तक डीडी/ओएसबी कार्यालय, कमरा सं. 213, ए–ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास सदन, आई एन ए, नई दिल्ली–110023 में संपर्क कर सकते हैं अथवा **(oldschemebranch@gmail.com)** पर ई–मेल कर सकते हैं। वे डीडीए पोर्टल **http://citzservices.dda.org.in/#/home** पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।